ALL INDIA FEDERATION OF ELECTRICITY EMPLOYEES
Central Office : Nelson Square, Chhaoni, Nagpur-440 013. Ph : 0712-2592191
E-mail : msewfnagpur@gmail.com
PRESIDENT
S.MOORTHY
Chennai (Tamilnadu)
Cell : 9444255072
GENERAL SECRETARY
MOHAN SHARMA
Nagpur (Maharashtra)
Cell :9823019531

सेवा में,
मुख्य सचिव,
आंध्र प्रदेश सरकार,
अमरावती, आंध्र प्रदेश।

पत्र संख्या **A.L.F.E.E/A.P/CS/A.P.C.R.D.A (EOI)/2026,** दिनांक **10-11-2026**।

आदरणीय महोदय,

विषय: A.P. ऊर्जा क्षेत्र - अमरावती राजधानी शहर में बिजली वितरण नेटवर्क की स्थापना और संचालन तथा बिजली वितरण/खुदरा आपूर्ति के लिए A.P.C.R.D.A. की 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' के संबंध में।

सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग: इस EOI को फिलहाल रोक दिया जाए, मौजूदा प्रस्ताव को इसके वर्तमान स्वरूप से वापस लिया जाए, और बिजली वितरण का कार्य पहले की तरह सरकारी बिजली कंपनियों के माध्यम से ही जारी रखा जाए। साथ ही, 07-12-2026 को पूरे राज्य में होने वाले शांतिपूर्ण 'लंच-आवर' (दोपहर के समय खाने के विश्राम का घंटा) प्रदर्शनों का समर्थन करने के संबंध में।

संदर्भ: 1] APCRDA की 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (रुचि की अभिव्यक्ति), सितंबर 2026 - आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बिजली वितरण नेटवर्क की स्थापना और संचालन, तथा साथ ही बिजली के वितरण/खुदरा आपूर्ति के लिए।
2) पत्र संख्या A.P.S.P.E.JAC/H.Q.-VJA/D.No.26/2026, दिनांक: 21-09-2026.
3] पत्र संख्या A.1.F.E.E/A.P/CS/APCRDA (EOI)/2026, दिनांक: 22-09-2026.
4] पत्र संख्या A.P.S.P.E.JAC/H.Q-VJA/D.No.31/2026, दिनांक: 22-10-2026.

अत्यंत सम्मान के साथ, 'ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयीज' एक बार फिर आपसे आग्रह करता है कि अमरावती राजधानी क्षेत्र में प्रस्तावित वैकल्पिक/निजी बिजली वितरण व्यवस्था के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। इस मुद्दे का राज्य के बिजली क्षेत्र, सार्वजनिक संपत्तियों, बिजली उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा; इसलिए, सरकार के सर्वोच्च स्तर पर इस पर तत्काल विचार किया जाना आवश्यक है।

A.I.F.E.E. अमरावती को एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व-स्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करने का पूरा समर्थन करता है। हमारी आपत्ति आधुनिकीकरण या तकनीकी प्रगति के खिलाफ नहीं है, बल्कि बिजली वितरण की एक अलग व्यवस्था स्थापित करने के खिलाफ है—

खासकर तब, जब तक कि इसकी कानूनी अनुमति, नियमों का पालन, तकनीकी आवश्यकता, आर्थिक व्यवहार्यता और व्यापक जनहित साबित न हो जाएं। A.I.F.E.E ने पहले ही संदर्भ 3d के तहत एक विस्तृत प्रतिवेदन जमा कर दिया है, जिसमें कानूनी, विनियामक, तकनीकी, वित्तीय, उपभोक्ता, सार्वजनिक संपत्ति और कर्मचारियों से जुड़े गंभीर प्रभावों को रेखांकित किया गया है। चूंकि इस मामले के राज्य विद्युत क्षेत्र और आम जनता पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए A.I.F.E.E एक बार फिर अनुरोध करता है कि व्यापक जांच और चर्चा के बिना कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाए जिसे बाद में बदला न जा सके। इसलिए, EOI (रुचि की अभिव्यक्ति) को फिलहाल रोक दिया जाना चाहिए और इसके मौजूदा प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिए। ऐसा तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम अधिकारी एक व्यापक और स्वतंत्र मूल्यांकन पूरा न कर लें, और सरकार कानून के अनुसार कोई उचित निर्णय न ले ले।

अमरावती राजधानी क्षेत्र, A.P.C.P.D.C. लिमिटेड के मौजूदा वितरण ढांचे के अंतर्गत आता है। राज्य की विद्युत उपयोगिता कंपनियों के पास स्थापित बुनियादी ढांचा, तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभवी कार्यबल और उपभोक्ता-सेवा प्रणालियां मौजूद हैं, जिन्हें भारी सार्वजनिक निवेश के माध्यम से विकसित किया गया है। बिना किसी ठोस आवश्यकता के एक समानांतर व्यवस्था बनाने से बुनियादी ढांचे का दोहराव हो सकता है, सार्वजनिक संपत्तियों का कम उपयोग हो सकता है, अनावश्यक खर्च और अतिरिक्त वित्तीय देनदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मौजूदा वितरण कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए, व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, सरकार को अमरावती की बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने और इसके विकास की जिम्मेदारी मौजूदा सरकारी उपयोगिता कंपनियों को सौंपने को प्राथमिकता देनी चाहिए। EOI (रुचि की अभिव्यक्ति) के तहत परिकल्पित उद्देश्यों - जैसे स्मार्ट ग्रिड, SCADA/DMS, GIS, ऑटोमेशन, भूमिगत केबलिंग, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, EV चार्जिंग, बैटरी ऊर्जा भंडारण और बेहतर उपभोक्ता सेवाएं - को मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे के भीतर ही पर्याप्त निवेश, उन्नत तकनीक और उचित नीतिगत समर्थन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।

गंभीर और अनसुलझी चिंताओं को देखते हुए, A.I.F.E.E अपनी इन मांगों को फिर से पूरी दृढ़ता के साथ दोहराता है कि EOI (रुचि की अभिव्यक्ति) को फिलहाल रोक दिया जाए और जब तक लागू कानूनों के अनुसार निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस प्रस्ताव को इसके मौजूदा स्वरूप में वापस ले लिया जाए। A.I.F.E.E सरकार से सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता के साथ यह अनुरोध करता है कि:

1. A.P.C.R.D.A के EOI (रुचि की अभिव्यक्ति) को तुरंत रोक दें। साथ ही, कानूनी, नियामक, तकनीकी, वित्तीय, उपभोक्ता और सार्वजनिक-संपत्ति से जुड़े व्यापक आकलन पूरे होने तक, इस प्रस्ताव को इसके मौजूदा स्वरूप से वापस ले लें।

2. A.P.C.R.D.A को निर्देश दें कि जब तक सक्षम अधिकारी अपनी जांच पूरी न कर लें और सरकार कोई ठोस और तर्कसंगत अंतिम निर्णय न ले ले, तब तक अमरावती में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति से जुड़ी किसी भी चयन प्रक्रिया, अनुबंध देने या अन्य किसी प्रतिबद्धता को आगे न बढ़ाएं।

3. यह सुनिश्चित करें कि A.P.C.P.D.C.L और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली मौजूदा बिजली कंपनियों को, अमरावती को एक आधुनिक, स्मार्ट और विश्व-स्तरीय बिजली वितरण शहर के रूप में विकसित करने का पहला अवसर और जिम्मेदारी दी जाए। इसके लिए उन्हें पर्याप्त निवेश और तकनीकी अपग्रेडेशन का सहयोग भी मिलना चाहिए।

07-12-2026 (सोमवार**)** को राज्यव्यापी शांतिपूर्ण लंच-आवर प्रदर्शनों को पूर्ण समर्थन

A.P.S.P.E.JAC द्वारा संदर्भ 4 के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, जॉइंट एक्शन कमिटी (JAC) ने समान विचारधारा वाले यूनियनों और संघों के साथ मिलकर, **07-12-2026** को पूरे आंध्र प्रदेश में सर्कल मुख्यालयों और जनरेटिंग स्टेशनों के साथ-साथ विजयवाड़ा स्थित **A.P.C.P.D.C.L.** के कॉर्पोरेट कार्यालय में एक दिवसीय शांतिपूर्ण 'लंच-आवर' प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की सामूहिक और जायज चिंताओं को सामने लाना और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। A.L.F.E.E इस शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन करता है और सरकार से आग्रह करता है कि वह इसे बातचीत, पारदर्शिता और जनहित में समय रहते समाधान निकालने की एक सकारात्मक अपील के रूप में देखे।

A.I.F.E.E. को पूरी उम्मीद है कि सरकार और संबंधित प्रबंधन इस कार्यक्रम से जुड़ी जायज चिंताओं को समझेंगे और मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सार्थक बातचीत शुरू करेंगे।
अमरावती का विकास, सार्वजनिक स्वामित्व की सुरक्षा, उपभोक्ताओं के हित और राज्य विद्युत कंपनियों की वित्तीय स्थिरता - इन सभी को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। इतने बड़े पैमाने के फैसले का आधार कानूनी नियमों का पालन, पारदर्शिता, निष्पक्ष मूल्यांकन और संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ सार्थक परामर्श होना चाहिए। आधुनिकीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं और उनकी डिलीवरी को मजबूत करना होना चाहिए, न कि अनावश्यक दोहराव पैदा करना या कानूनी और विनियामक स्थिति की पूरी तरह जांच किए बिना ही कोई प्रतिबद्धता जताना।
इसलिए, A.I.F.E.E. आपसे विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से आग्रह करता है कि आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें, संबंधित अधिकारियों को बिना किसी देरी के उचित निर्देश जारी करें, और यह सुनिश्चित करें कि पूरी जांच होने तक कोई ऐसा वादा न किया जाए जिसे बाद में बदला न जा सके। हमें विश्वास है कि आंध्र प्रदेश सरकार एक संतुलित, कानूनी और जनहित को ध्यान में रखने वाला निर्णय लेगी, जिससे अमरावती का विकास भी हो और राज्य के बिजली क्षेत्र के दीर्घकालिक हितों की रक्षा भी हो सके। A.I.F.E.E. का अनुरोध है कि हमारे पहले दिए गए ज्ञापन और इस स्मरण-पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, और जो भी निर्णय लिया जाए, उससे फेडरेशन को अवगत कराया जाए।

सादर प्रणाम और अनुकूल कार्रवाई की आशा के साथ।

भवदीय,

(मोहन शर्मा)
महासचिव

माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार को प्रतिलिपि प्रेषित; उनसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और उचित निर्देश जारी करें।
माननीय ऊर्जा मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार को प्रतिलिपि प्रेषित।
माननीय नगर प्रशासन मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार को प्रतिलिपि प्रेषित।

#कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और अनुकूल आदेश जारी कराने की व्यवस्था करें।

आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार के ऊर्जा विभाग के विशेष मुख्य सचिव को प्रतिलिपि भेजी गई।
आवश्यक कार्रवाई के लिए A.P. ट्रांसको (A.P.Transco) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को प्रतिलिपि भेजी गई।

जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए A.P. जेनको (A.P.Genco) के प्रबंध निदेशक को प्रतिलिपि भेजी गई।
जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए अमरावती स्थित APCRDA के आयुक्त को प्रतिलिपि भेजी गई।
आवश्यक कार्रवाई के लिए A.P.C.P.D.C.L के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को प्रतिलिपि भेजी गई।